

पत्र संख्या-सामान्य स्थानान्तरण-मनोरंजन निरीक्षक संवर्ग/2022-23/1564/राज्य कर,  
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2022  
आदेश

राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर) के निरीक्षक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	कार्यालय जहां स्थानान्तरित/ तैनात किया जाता है
01	02	03	04
1	श्री शशि प्रभा चौधरी, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, बाराबंकी।	राज्य कर, मुख्यालय (जवाहर भवन, लखनऊ)।
2	श्री संजय कुमार सिंह, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, मुख्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, प्रयागराज।
3	श्रीमती पूजा यादव, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, सीतापुर।	राज्य कर, मुख्यालय, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4	श्रीमती सुनीता सहगल, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, मेरठ	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, सहारनपुर।
5	श्रीमती करिश्मा राठौर, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, प्रयागराज।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, कानपुर नगर।
6	श्री सौरभ कुमार यादव, निरीक्षक।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, एटा।	पूर्व मनोरंजन कर जनपद कार्यालय, लखनऊ।
7	श्री कोमल अग्रवाल, निरीक्षक।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, मिर्जापुर।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, चित्रकूट।
8	श्री पंकज कुमार रावत, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, महोबा।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, सीतापुर।
9	श्री कमलाकान्त भास्कर, निरीक्षक।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, देवरिया।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, मिर्जापुर।

1-क्रमांक 01 से 09 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। अतः इन्हें कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

2-उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करते हुए उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

3-उपरोक्त कार्मिकों के नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 15.06.2022 के बिन्दु संख्या-11(1) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 30.06.2022 के कम में जारी किया जाता है।

H0/-

(सुधा वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन),  
राज्य कर उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-संबंधित जोन अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश सम्भाग/जोन कार्यालय में प्रभावी होगा।।
- 3-संबंधित संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 4-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 5-संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 6-संबंधित उपायुक्त(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 7-संबंधित जनपद प्रभारी(मनोरंजन कर कार्य) उ0प्र0।
- 8-स्थापना-5(क)पूर्व मनोरंजन कर स्थापना अराजपत्रित अनुभाग राज्य कर मुख्यालय।